फर्द अहकाम

न्यायालयः–वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश,फतेहपुर जिला सीकर

संतोष कुमार बनाम रामप्रसाद वगैरह

दीवानी विविध प्रकरण सं.55–2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील
10.03.2026	प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री कपिल दहिया उपस्थित। अप्रार्थी सं. 1 व 5 के विद्वान अधिवक्ता श्री मुकेश भातरा उपस्थित। शेष अप्रार्थीगण विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही है। यह प्रकरण श्रीमान डी.जे. साहब सीकर के आदेश से अंतरित होकर प्राप्त हुआ है जो दर्ज रजिस्टर हो। बहस अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र सुनी गई है। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। इस अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र हेतु न्यायालय को निम्न तीन बिन्दुओं पर अपना विनिश्चय देना है– 1–प्रथम दृष्टया मामला । 2–सुविधा का सन्तुलन। 3–अपूर्णनीय क्षति । उपरोक्त बिन्दुओं पर क्रमवार न्यायालय का निष्कर्ष निम्न प्रकार से है–? **1– प्रथम दृष्टया मामला** दोनो पक्षों को सुने जाने के पश्चात् इस संबंध में न्यायालय का निष्कर्ष यह है कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या–3 व 4 में वर्णित सम्पति प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 की पैतृक व अविभाजित सम्पति होना दोनो पक्षों के मध्य एक स्वीकृत तथ्य है। पैतृक व अविभाजित सम्पति में इसके किसी भी हिस्सेदार को कोई विशिष्ट भू–भाग विक्रीत करने व तोड़–फोड़ करने का अधिकार नहीं होता है। ऐसी दशा में प्रथम दृष्टया मामला उक्त विवादित सम्पति को विक्रय नहीं करने व इसमें तोड़–फोड़ करने हेतु दोनो पक्षों को पाबंद किये जाने की हद तक प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है। **2–सुविधा का सन्तुलन।** **3–अपूर्णनीय क्षति।** उक्त दोनो बिन्दुओं का निस्तारण सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है। चूंकि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया गया है। इस कारण यदि मूल वाद के विचारण के दौरान किसी भी पक्ष द्वारा प्रकरण की विवादित सम्पति में कोई तोड–फोड़ कर अन्यत्र अंतरित कर दिया जाता है तो प्रार्थी को ऐसे अंतरणकर्ता पक्षकार की तुलना में प्रतिपक्षी को ही तुलनात्मक रूप से अधिक असुविधा व अपूर्णनीय क्षति होगी, जिसकी मुद्रा कृपृउ–––2	

के रूप में भरपाई किया जाना संभव नहीं होगा, क्योंकि उसे ऐसे पश्चातवर्ती अंतरिती के विरूद्ध ना चाहते हुए भी मुकदमेंबाजी में रत होना पड़ेगा और इससे प्रकरण में अनावश्यक पेचीदगीयां तथा वाद बाहुल्यता की स्थित उत्पन्न होंग। अतः दोनो बिन्दू उक्तानुसार प्रार्थी के पक्ष तय किये जाते हैं।

चूंकि उक्त तीनों बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में तय किये गये हैं। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 व सपठित धारा 151 सीपीसी निम्न प्रकार से स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

–आदेश–

अतः प्रार्थी सुरेश कुमार की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश–39 नियम 1 व 2 व धारा–151 सीपीसी विरूद्ध अप्रार्थी रामप्रसाद व अन्य के उपरोक्तानुसार स्वीकार किया जाकर उभयपक्षों को ताफैसला मूल वाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे प्रकरण की विवादित सम्पति को बेचान व इसमें तोड़–फोड़ नहीं करें।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैशलशुमार होकर संलग्न मूल वाद रहे।

(अजय कुमार पूनियां)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, फतेहपुर
जिला सीकर